AAE – 2 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

नवम्बर, 2009

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे | *अधिकतम अंक : 65*

अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमों एवं पूरक नियमों का संकलन, खंड-I तथा II
2. केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944
3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972
4. परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम
5. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियम
7. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960
8. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम 1980
9. पुनः नियोजित पेंशन भोगियों को पेंशन दिए जाने संबंधी आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. छुट्टी खाता फार्म
2. यात्रा भत्ता बिल फार्म

टिप्पणियां :

(1) इस प्रश्न पत्र में **5** प्रश्न और **4** पृष्ठ हैं।

(2) प्रश्न संख्या **1** और **2** अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए।

(3) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और नियमों के संबंधित प्रावधानों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें।

---

1. निम्नलिखित विवरण से अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन के संराशीकृत मूल्य और परिवार पेंशन की गणना कीजिए:- *(20 अंक)*

1. जन्म की तारीख — 01.08.1948
2. सेवा में आने की तारीख — 11.12.1973
3. स्थायीकरण की तारीख — 01.12.1977
4. निम्नलिखित छुट्टियां लीं

* निजी कार्य से असाधारण छुट्टी 180 दिन
* चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण छुट्टी 40 दिन
* निजी कार्य से अर्ध वेतन छुट्टी 60 दिन
* 1.9.2007 से 30.9.2007 तक की परिवर्तित छुट्टी 30 दिन

5. 26.11.1979 से 10.12.1979 तक अकार्य दिवस माना। इस बाधा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया।
6. 1.1.2006 से वेतन बैंड-3 में उसका मूल वेतन 26,510 रुपये और ग्रेड वेतन 7,600 रुपये था तथा वेतन वृद्धि की अगली तारीख 1.7.2006 थी। उसे 01.01.2008 से उच्च वेतन बैंड और पीबी-4 के न्यूनतम पर मूल वेतन प्रदान किया गया।
7. 1.1.2008 से महंगाई भत्ता 16% था।
8. 31 जनवरी, 2007 तक 1,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता।

2. निम्नलिखित विवरण से एक अधिकारी श्री 'ए' को स्वीकार्य दौरे के यात्रा भत्ते की निवल राशि ज्ञात कीजिए। अधिकारी ने अपना दावा पुराने यात्रा भत्ते नियमों के स्थान पर नए नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किया। *(15 अंक)*

1. ग्रेड वेतन 10,000 रुपये
2. मुख्यालय - कोलकाता
3. स्टेशन 'बी' पर 6 दिन के निरीक्षण पर 6.11.08 (बृहस्पति वार) को 8 बजे पूर्वाह्न में कोलकाता से रवाना हुआ। सड़क से 150 कि.मी. की यात्रा की। राज्य परिवहन वाहन से किराया 100 रुपये है। रेल का एसी प्रथम श्रेणी का किराया 800 रुपये है।
4. स्टेशन 'बी' पर 11.00 बजे पूर्वाह्न पहुंचा।
5. बाहरी स्टेशन पर आवास की उपयुक्त सुविधा न होने के कारण अधिकारी 6,7,8,10 और 11 को 100 रुपये प्रति फेरे के हिसाब से किराय अदा करके सड़क मार्ग से मुख्यालय को लौटा।
6. अधिकारी 2,000 रुपये के किराए पर टैक्सी लेकर 12.11.08 को 18.00 बजे बाहरी स्टेशन से रवाना हुआ और 21.00 बजे मुख्यालय पहुंचा। टैक्सी का किराया दूसरे व्यक्ति के साथ बराबर-बराबर बांट लिया गया।
7. अधिकारी 16.11.08 (रविवार) को 22.00 बजे रेलगाड़ी से कोलकाता से रवाना हुआ। उसने एसी 2-टायर से यात्रा की। 2,000 रुपये किराया अदा किया गया जिसमें आरक्षण प्रभार के 35 रुपये शामिल थे।
8. अधिकारी 17.11.08 को 06.05 बजे स्टेशन 'सी' पहुंचा।

AAE – 2 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

NOVEMBER, 2009

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed : 2 Hours *Maximum Marks : 65*

Books allowed :

1. Compilation of FRs and SRs Vol.I and II.
2. Central Service (Medical Attendance) Rules 1944.
3. Central Civil Services (Pension) Rules 1972.
4. Defined Contributory Pension Scheme.
5. Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
6. Leave Travel Concession Rules.
7. General Provident Fund (CS) Rules 1960.
8. Central Government Employee Group Insurance Scheme 1980.
9. Pension to Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied :

1. Leave Account Form
2. TA Bill Form (Tour)

Note :
1. This question paper contains **4** pages and has **5** questions.
2. Question No.**1** and **2** are compulsory. Attempt any two of the remaining questions.
3. The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of Rules (wherever applicable).

1. Calculate the superannuation pension, retirement gratuity, commuted value of pension and family pension from the following particulars:- *(20 marks)*

1.	Date of birth	1.8.1948
2.	Date of joining service	11.12.1973
3.	Date of confirmation	1.12.1977
4.	Availed the following spells of leave:	
	• Extraordinary leave on private affairs	180 days
	• Extraordinary leave on medical certificate	40 days

- Half pay leave on private affairs 60 days
- Commuted leave from 1.9.2007 to 30.9.2007 30 days

5. Awarded dies non from 26.11.1979 to 10.12.1979. The interruption was condoned by Competent Authority.
6. His Basic Pay in the Pay Band-3 was Rs. 26510 plus Rs. 7600 as Grade Pay w.e.f. 1.1.2006 with DNI on 1.7.2006. He was allowed higher Pay Band w.e.f. 01.01.2008 with B.P. at the minimum of the PB-4.
7. Dearness Allowance at 16% from 1.1.2008.
8. Special Allowance of Rs. 1,000 p.m. till 31st January, 2007.

2. From the following particulars, workout the net amount of travelling allowance on tour admissible to an officer Shri 'A'. *(15 marks)*

1. Grade Pay Rs. 10,000
2. Headquarters – Kolkata
3. Left Kolkata on 6.11.08 (Thursday) at 8 a.m. on a 6 day inspection at station 'B'. Distance travelled by road 150 km. Fare by State Transport Vehicle is Rs. 100. AC first Class fare by rail is Rs. 800.
4. Arrived at station 'B' at 11.00 a.m.
5. For want of suitable lodging facility at the outstation, the officer returned to headquarters by road on 6, 7, 8, 10 and 11th paying fare of Rs. 100 per trip.
6. Left outstation on 12.11.08 at 18.00 hours by hiring a taxi for a fare of Rs. 2000/- and arrived at headquarters at 21.00 hrs. The fare for the taxi was shared equally with another person.
7. Left Kolkata on 16-11-08 (Sunday) at 22.00 hours by train. Travelled in A.C.2-Tier. Fare paid was Rs. 2000/- which included Rs. 35 for reservation charges.
8. Arrived at Station 'C' on 17-11-08 at 06.05 hours.
9. Participated in a workshop at Station 'C' for 3 days from 17-11-08 to 19-11-08. During this period, free boarding and lodging was provided by the sponsors. He was on C/L on 20-11-08.

10. Attended to other official business at Station 'C' on 21-11-08 and 22-11-08. During this period, free working lunch, tea and snacks were provided.
11. Left Station 'C' on 22-11-08 at 22.30 hours and arrived at headquarters on 23-11-08 at 05.15 a.m. by rail AC First Class. Fare paid was the same as in Item 7.
12. Spent Rs. 480/- per day at the Station 'B' towards food and beverages for the days he was on tour and Rs. 200 for breakfast/dinner at the Station 'C' on 21 and 22-11-08. Vouchers attached.
13. For local journeys at tour stations, an amount of Rs. 20 per km. paid for 30 kms on every day, by taxi. Vouchers produced.
14. He has drawn an advance of Rs. 10,000 for the above tour.

3. Pay of a Govt. servant in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 + 5400 (grade pay), from 1.1.2006 is as follows: *(15 marks)*

	Band Pay (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Total (Rs.)
1.1.2006	18,470	5,400	23,870
1.7.2006 (Increment)	19,190	5,400	24,500
1.7.2007 (Increment)	19,930	5,400	25,330
1.7.2008 (Increment)	20,690	5,400	26,090
1.7.2009 (Increment)	21,480	5,400	26,880
1.7.2010 (Increment)	22,290	5,400	27,690
1.7.2011 (Increment)	23,120	5,400	28,520

On 1.6.2009, his pay was reduced by two increments for a period of two years without cumulative effect. However, on appeal, the Appellate Authority modified the order as one of withholding of next increment for a period of two years with cumulative effect. Fix the pay of the official from time to time and show whether original order of penalty or the modified order of penalty would have been beneficial to the official.

4. Write short notes on any three(3) of the following : *(15 marks)*

1. Deductions from subsistence allowance.
2. General conditions of granting of extraordinary leave.

3. Fixation of pay on transfer/appointment from one ex-cadre post to another ex-cadre post.
4. Medical claim when the treatment is taken from a recognized hospital without following the procedure.
5. How the pay of officers is fixed when appointed in the personal staff of Ministers.
6. Allocation of Interest charges on GPF when a subscriber is transferred from one Govt. to another.

5. Prepare the leave account of Mr. Das, Dy.Controller of Accounts and work out the earned leave & half pay leave at his credit as on the date of his retirement on superannuation.

(a) Was born on 1.8.1946 & joined Government service on 16.9.1967.

(b) Leave at credit as on 1.1.98 EL = 110 days, HPL = 125 days.

(c) Availed 61 days of EOL from 1.3.99.

(d) Availed EL for 95 days from 10.7.99 & 56 days of HPL in continuation.

(e) Was transferred from Delhi to Shillong in February 2000. The distance between the two cities is 2062 kms. He handed over charge on 18.2.2002 (AN) and joined the Shillong office on 22.2.2002 (FN). He travelled by air.

(f) He took 40 days of commuted leave on medical certificate from 20.9.2002.

(g) Was on EL for 31 days from 1.1.2004 & overstayed upto 12.3.2004. The period of overstayal was treated as "dies-non".

(h) Was under suspension from 14.6.2004 to 30.8.2004. The period of suspension was regularized as leave of the kind due.

(15 marks)

----

9. स्टेशन 'सी' पर 17.11.08 से 19.11.08 तक 3 दिन के लिए कार्यशाला में भाग लिया। इस अवधि के दौरान प्रायोजकों द्वारा निःशुल्क भोजन तथा आवास उपलब्ध कराया गया। वह 20.11.08 को आकस्मिक छुट्टी पर था।
10. उसने स्टेशन 'सी' पर 21.11.08 और 22.11.08 को अन्य सरकारी कार्य किया। इस अवधि के दौरान उसे निःशुल्क दोपहर का भोजन, चाय और अल्पाहार उपलब्ध कराया गया।
11. अधिकारी स्टेशन 'सी' से 22.11.08 को 22.30 बजे रवाना हुआ और रेलगाड़ी द्वारा एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करके 23.11.08 को 05.15 बजे पूर्वाह्न मुख्यालय पहुंचा। अदा किया गया किराया मद 7 के समान ही था।
12. अधिकारी ने स्टेशन 'बी' पर दौरे के दिनों के लिए भोजन और पेयों पर 480 रुपये प्रतिदिन और स्टेशन 'सी' पर 21 और 22.11.08 को सुबह के नाश्ते/रात के भोजन पर 200 रुपये खर्च किए। वाउचर संलग्न हैं।
13. दौरे के स्टेशनों पर टैक्सी से स्थानीय यात्राओं के लिए प्रतिदिन 30 कि.मी. के लिए 20 रुपये प्रति किमी. के हिसाब से अदायगी की गई वाउचर प्रस्तुत हैं।
14. उसने उपर्युक्त दौरे के लिए 10,000 रुपये अग्रिम लिया है।

3. एक सरकारी कर्मचारी का 1.1.2006 से 15,600-39,100 + 5,400 रुपये (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में वेतन इस प्रकार है: *(15 अंक)*

	बैंड वेतन (रुपये)	ग्रेड वेतन (रुपये)	कुल (रुपये)
1.1.2006	18,470	5,400	23,870
1.7.2006 (वेतनवृद्धि)	19,190	5,400	24,500
1.7.2007 (वेतनवृद्धि)	19,930	5,400	25,330
1.7.2008 (वेतनवृद्धि)	20,690	5,400	26,090
1.7.2009 (वेतनवृद्धि)	21,480	5,400	26,880
1.7.2010 (वेतनवृद्धि)	22,290	5,400	27,690
1.7.2011 (वेतनवृद्धि)	23,120	5,400	28,520

1.6.2009 को, उसके वेतन से बिना संचयी प्रभाव के दो वर्ष की अवधि के लिए दो वेतनवृद्धि कम कर दी गई। तथापि, अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश को संशोधित करके अगली वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाए, कर दिया। अधिकारी का समय-समय पर वेतन निर्धारित कीजिए और यह दर्शाइए कि शास्ति के मूल आदेश या शास्ति के संशोधित में से कौन-सा उसके लिए लाभकारी रहता।

4. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन (3) पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए: *(15 अंक)*

1. गुजारा भत्ता में से कटौतियां।
2. असाधारण छुट्टी प्रदान किए जाने की सामान्य शर्तें।
3. एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर, स्थानांतरण/नियुक्ति पर वेतन निर्धारण।
4. चिकित्सा दावा जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मान्यताप्राप्त अस्पताल में उपचार कराया गया हो।
5. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त अधिकारियों का वेतन-निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।
6. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज प्रभारों का आवंटन, जब अभिदाता का स्थानांतरण एक सरकार से दूसरी सरकार में किया गया हो।

5. श्री दास, उप लेखा नियंत्रक का छुट्टी खाता तैयार कीजिए और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख को उनके खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी ज्ञात कीजिए।

(क) उनका जन्म 1.8.1946 को हुआ और उन्होंने 16.9.67 को सरकारी सेवा प्रारम्भ की।

(ख) 1.1.98 को उनके छुट्टी खाते में निम्नलिखित छुट्टियां जमा थीं:-
अर्जित छुट्टी = 110 दिन
अर्ध वेतन छुट्टी = 125 दिन

(ग) उन्होंने 1.3.99 से 61 दिन की असाधारण छुट्टी ली।

(घ) उन्होंने 10.7.99 से 95 दिन की अर्जित छुट्टी ली और उसी क्रम में 56 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी ली।

(ङ) अधिकारी को फरवरी 2000 में दिल्ली से शिलोंग स्थानांतरित किया गया। दोनों शहरों के बीच की दूरी 2062 कि.मी. है। अधिकारी ने 18.2.2002 (अपराह्न) को कार्यभार सौंपा और 22.2.2002 (पूर्वाह्न) को शिलोंग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने विमान से यात्रा की।

(च) अधिकारी ने 20.9.2002 से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर 40 दिन की परिवर्तित छुट्टी ली।

(छ) अधिकारी 1.1.2004 से 31 दिन की अर्जित छुट्टी पर रहा और 12.3.2004 तक छुट्टी से अधिक ठहरा रहा। छुट्टी से अधिक ठहरे रहने को 'अकार्य दिवस' माना गया।

(ज) अधिकारी 14.6.2004 से 30.8.2004 तक निलम्बनाधीन रहा। निलम्बन की अवधि को उन्हें देय छुट्टी से नियमित कर दिया गया। *(15 अंक)*